(33)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कैम्प - जबलपुर

रा.प्र.कं. सन् R/3982/I/2014

आवेदक — राजेश घनघोरिया
आत्मज स्व.श्री संतोष घनघोरिया
म.नं.354, चौथा मील ग्राम तिलहरी
तहसील एवं जिला जबलपुर
मो. 9165591761

वि रू द्व

अनावेदक — म.प्र.शासन

2 0 OCT 2014

CANCELLED

INDIA COURT FEE Rs.10 TEN RUPEES

(19)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3982–एक / 14 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.12.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया । यह प्रकरण अतिक्रमण के संबंध में है जिसमें विचारण न्यायालय ने आवेदक को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण हटाने एवं 1500/– रूपये अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश दिए हैं । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किए जाने के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि खसरो में भूमि सर्वे नं. 325/1 भूमिस्वामी के रूप में तथा भूमि सर्वे नं. 325/2 नजूल शासकीय दर्ज है और तहसीलदार ने खसरा कमांक 325/2 के संबंध में आदेश पारित किये हैं । स्थगन देना या न देना न्यायालय का विवेकाधिकार है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में कोई अनियमितता या अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	